

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/20/ 01

दिनांक 22/07/2020

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(मुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

पटवार मण्डल :- रामगढ

तहसील :- बिजयनगर

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार बिजयनगर के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020 / 00178	2608 21.07.2020	रामगढ	403	1.6928 है.	गै.मु. पहाड़	403 / 1	0.0464 है.	गै.मु. रास्ता
2	2020 / 00179	2607 21.07.2020	रामगढ	794	2.7101 है.	गै.मु. चट्टान	794 / 1	0.2495 है.	गै.मु. रास्ता
3	2020 / 00179	2607 21.07.2020	रामगढ	799	1.2135 है.	गै.मु. चट्टान	799 / 1	0.0167 है.	गै.मु. रास्ता
4	2020 / 00179	2607 21.07.2020	रामगढ	800	0.8413 है.	गै.मु. चट्टान	800 / 1	0.1072 है.	गै.मु. रास्ता
5	2020 / 00180	2619 22.07.2020	रामगढ	3210	5.9866 है.	बारानी 3	3210 / 1	0.3400 है.	गै.मु. रास्ता
6	2020 / 00180	2619 22.07.2020	रामगढ	3304	1.8202 है.	बारानी 3	3304 / 1	0.0800 है.	गै.मु. रास्ता
7	2020 / 00181	2620 22.07.2020	रामगढ	4744 / 1580	8.0980 है.	गै.मु. चट्टान	4744 / 1580 / 1	0.6640 है.	गै.मु. रास्ता
8	2020 / 00182	2621 22.07.2020	रामगढ	4453 / 747	4.2068 है.	गै.मु. चट्टान	4453 / 747 / 1	0.1440 है.	गै.मु. रास्ता
9	2020 / 00183	2622 22.07.2020	रामगढ	1356	13.7368 है.	गै.मु. चट्टान	1356 / 1	0.3900 है.	गै.मु. रास्ता
10	2020 / 00184	2623 22.07.2020	रामगढ	5449 / 3870	2.8118 है.	गै.मु. पहाड़	5449 / 3870 / 1	0.1880 है.	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

